FORM NO. 123

फर्द अहकाम

(आदेश–24 नियम–07)

अज अदालत :– **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** मुकाम **प्रतापगढ (राजस्थान)**

वाद संख्या **नियमित दाण्डिक** संख्या **1686 वर्ष 2019**

पक्षकार **पुष्कर** बनाम **ईश्वरलाल**

दिनांक	पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश अनुपालना की संक्षिप्त टिप्पणी
	दिनांकः 04.08.2025 परिवादी पुष्कर अनुपस्थित। परिवादी के अधिवक्ता श्री सुनिल मेहता उपस्थित। अभियुक्त ईश्वरलाल अनुपस्थित, जिसका जारीशुदा गिरफ्तारी वारन्ट पुलिस थाना हथुनिया से कानि. गिरीशचन्द्र नं. 343 ने इस रिपोर्ट के साथ पेश किया गया कि अभियुक्त ईश्वरलाल लगभग 02 वर्ष से गांव बसेरा में सकुनत पर निवास नही कर रहा है न ही उसका कोई अता पता है। रिपोर्ट के साथ मोतबिरान की तस्दीक पेश की। तामील कुनिन्दा गिरीशचन्द्र नं. 343 थाना हथुनिया के बयान सी.ड. 1 के रूप में लेखबद्ध किये गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दिनांक 04.11.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.06.2022 को न्यायालय में समर्पण करने पर उसे धारा 138 एनआई एक्ट का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। प्रकरण साक्ष्य परिवादी हेतु नियत किया गया किन्तु दिनांक 15.10.2022 को अभियुक्त उपस्थित नही होने पर उसके जमानत मुचलके जब्त किये जाकर उसे गिरफ्तारी वारन्ट से तलब किये जाने का आदेश दिया गया तत्पश्चात अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.11.2022 को न्यायालय समर्पण करने पर पत्रावली साक्ष्य परिवादी हेतु नियत की गई तत्पश्चात दिनांक 17.02.2024 को अभियुक्त के अधिवक्ता ने अभियुक्त की अनुपस्थिति बाबत कोई सूचना नही होना जाहिर करने पर उसके जमानत मुचलके जब्त किये जाकर अभियुक्त को गिरफ्तारी वारन्ट से तलब किये जाने का आदेश दिया गया। अभियुक्त के दिनांक 17.02.2024 से आज दिनांक तक लगातार गिरफ्तारी वारन्ट जारी किये गये। इसके बावजुद अभियुक्त को गिरफ्तार कर पेश नही किया गया। आज दिनांक को भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर पेश नही किया गया तथा जारीशुदा गिरफ्तारी वारन्ट इस रिपोर्ट के साथ पेश किया गया कि अभियुक्त ईश्वरलाल लगभग 02 वर्ष से गांव बसेरा में सकुनत पर निवास नही कर रहा है न ही उसका कोई अता पता है। रिपोर्ट के समर्थन में मोतबिरान व ग्राम पंचायत बसेरा की तस्दीक पेश की	

है जिसमें अभियुक्त का 04 वर्ष से अपनी सकुनत बसेरा पर नही होना अंकित किया गया है, तथा तामील कुनिन्दा ने अपने बयान में कथन किया है कि अभियुक्त अपने घर पर नही है वह कहॉ गया इसका कोई अता पता नही है तथा तामील कुनिन्दा ने अपने बयान में कथन किया है कि बार बार अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये गये परन्तु अभियुक्त अपनी सकुनत से गिरफ्तारी के डर से रूहपोश है व ईधर उधर भागता फिर रहा है।प्रकरण में अभियुक्त के पूर्व में दो बार जमानत मुचलके जब्त हो चुके है। इससे यह प्रतित होता है कि अभियुक्त प्रकरण में विलम्ब करना चाहता है एवं अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी के डर से इधर उधर भागता फिर रहा है तथा उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नही है।

प्रकरण वर्ष 2019 से लम्बित होकर काफी पुराना है। अभियुक्त न्यायालय में अपनी उपस्थिति से बचता फिर रहा है जिससे उसके गिरफ्तारी वारंट की तामिल नहीं हो पा रही है तथा अभियुक्त के निकट भविष्य में उपस्थित होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त ईश्वरलाल को प्रकरण में मफरूर घोषित किया जाता है। अभियुक्त का स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावें। स्थाई गिरफ्तारी वारन्ट पर अभियुक्त की न्यायालय में प्रथम बार उपस्थिति का नोट अंकित किया जावे। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 84–85 बीएनएसएस की कार्यवाही पृथक से खोली जावे। स्थाई गिरफ्तारी वारन्ट पर नोट लगाया जावे कि उक्त वारन्ट थाने के मफरूरी रजिस्टर में दर्ज कर दर्ज क्रमांक इस न्यायालय में पेश करें।

इस स्टेज पर उक्त प्रकरण अभियुक्त के मफरूर होने से फैसल शुमार किया जाता है। पत्रावली के मुख पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावें कि प्रकरण में अभियुक्त मफरूर है अतः पत्रावली का कोई भी भाग जाया नहीं किया जावें।